16-4-18 वमौ(1) उभयपक्ष उप/जाब्ता T.I. हेतु वकील अपीलार्थी को अन्तिम अवसर देना तथा पत्रावली दिनांक 28-5-18 को पेश हो। [illegible]

28/5/18 आज P.O सा. के कोर्ट में व्यस्त होने से पत्रावली को पेश नहीं कर सकते हैं। 3 6/8/18

लोक अदालत राजस्व न्याय आपके द्वार 2018

30-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश मोकरी में पेश हुई। पार्टी नं-2 एवं पैरवीकार गैर उपस्थित हुये तथा अपीलार्थी संख्या 1 आदि उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मूल वाद दमासमा एवं निषेधाज्ञा का है। मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम गंभीरा खुर्द स्थित ख.नं.-221 रकबा 0.50 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण सीलिंग अधिनियम से कम है तथा बाद तमसील प्रविष्ट लेख नहीं है एवं मूल वाद के निस्तारण तक निर्णय राजस्व लोक अदालत में मोकरी के समय आज ही लिखवाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा

सम्मानीय राजस्व
अ.नि.